न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चौथ का बरवाड़ा

मु0नं0:— 19 / 2020 तारीख रजू:—31.07.2020

जी.सी.एम.एस. नं0:— 2020 / 00168

पीठासीन अधिकारी :—जोगेन्द्र सिंह (आर.ए.एस.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
चौथ का बरवाड़ा

1. बाबूलाल
2. रामावतार
3. कैलाश
4. अशोक

पुत्रान स्व:दशरथलाल जाति सुनार निवासी ग्राम सारसोप तहसील चौथ का बरवाडा

—प्रार्थीगण

बनाम

1. कजोड
2. धनपाल

पुत्रान गोपीलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम सारसोप तहसील चौथ का बरवाडा

—अप्रार्थीगण

उपस्थित::—

वकील प्रार्थीगण :—श्री सुधीर कुमार जैन एडवोकेट

अप्रार्थीगण :— श्री अब्दुल वहाब एडवोकेट

निर्णय दिनांक:— 11.02.2026

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0 एक्ट 1956

1. प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि—

❖ प्रार्थीगण ग्राम सारसोप के स्थाई निवासी है। प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी खाता सं. 85 खसरा नं. 2430 रकबा 1.3200 हैक्टेयर खसरा नं. 2433 रकबा 0.4200 हैक्टेयर कूल खसरे 2 रकबा 1.7400 हैक्टेयर ग्राम सारसोप तहसील चौथ का बरवाडा में स्थित है जिस पर काश्त कर प्रार्थीगण अपना जीविकोपार्जन करते चले आ रहे है।

❖ अप्रार्थीगण की खातेदारी की प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि 2431 रकबा 0.0600 है0 व 2435 रकबा 1.4800 है0 स्थि[illegible]स पर वे लोग काश्त करते है। खसरा नम्बर 2434 से[illegible] 2433 की मेड पर स्थित है जिसका रकबा 0.0100 है0 है जो गल[illegible]से अप्रार्थीगण की ख[illegible] में दर्ज कर दिया है। प्रार्थीगण ने खातेदारी अलादीन पुत्र कालू जाति मुसलमान भिश्ती निवासी सारसोप से साबिक खसरा नं. 507 रकबा 6 बीघा 17 बिस्वा

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.03.06 11:30:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स0 मा0)

भूमि मय चाह के खरीद की थी जिसको 1/2 भाग दिनांक 21.05.97 को व उसके पश्चात शेष 1/2 भाग दिनांक 26.03.99 को जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र किया था इसमें खातेदार ने स्पष्ट लिखा है कि कुआ भी बनवा रखा है तथा कुंए पर इंजन लगा हुआ है। इस साबिक खसरा नं. 507 रकबा 6 बीघा 17 बिस्वा के सेटलमेंट विभाग द्वारा भू सर्वेक्षण करने के बाद वर्तमान में खसरा नं. 2430 व 2433 बनाए है जौ प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है। सेटलमेंट विभाग ने वर्तमान खसरा नं. 2434 को साबिक खसरा नं. 510 से बनना बताकर गैर मुमकिन चाह को अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज कर दिया वास्तव में यह कुआं हमारी खातेदारी के खेत खसरा नं. 2433 की मेड पर बना हुआ है जिसनें प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण का बराबर का हिस्सा है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
चौथ का बरवाड़ा

- ❖ प्रार्थीगण शान्ति प्रिय व्यक्ति है जबकि अप्रार्थीगण लठैत व्यक्ति है आये दिन जब भी खरीब व रबी की बुआई होती है तो 1–2 फुट हमारी डोल में टेक्टर द्वारा हल चला देते है हम प्रार्थीगण के बार बार मना करने के बावजूद भी अप्रार्थीगण अपनी हरकतों से बाज नही आते है तथा लडाई झगडा करने पर आमादा हो जाते है इसलिए हमने एक आवेदन तहसीलदार जी चौथ का बरवाडा को सीमाज्ञान के लिए प्रस्तुत किया। तहसीलदार जी के आदेश से पटवारी जी व गिरदावर जी ने दिनांक 10.07.2020 को सीमाज्ञान किया था व सीमाज्ञान गवाहान की उपस्थिति में करके रिपोर्ट तैयार की गई थी जिसमें विपक्षीगण भी मौके पर मौजूद थे तथा वे भी संतुष्ट थे परन्तु फिर न जाने किस कारण से आए दिन सीमा के मामले में कहासुनी करते रहते है।

- ❖ प्रार्थीगण इस सीमा विवाद को पत्थरगढ़ी (Demarcation) करवाकर फेसिंग करके समाप्त करना चाहते है ताकि भविष्य में किसी प्रकार का विवाद न हो और प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि में उपजी फसल भी सुरक्षित रहे।

- ❖ प्रार्थीगण मय शपथपत्र निवेदन करते है कि प्रार्थीगण की खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 2430 रकबा 1.3200 हैक्टेयर किस्म बारानी 1 खसरा नम्बर 2433 रकबा 0.4200 हैक्टेयर स्थित वाके ग्राम सारसोप तहसील चौथ का बरवाडा का सीमाज्ञान करके पत्थरगढ़ी (Demarcation) करवाये जाने की कृपा करें, जिससे प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की भूमि [illegible] कार्य जैसे पुख्ता दीवार अथवा फेसिंग करवा सके और अपनी भूमि [illegible] तथा [illegible]र सके।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.03.06 11:30:03 IST
Reason: SelfAttested

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस [illegible]म अप्रार्थीगण जारी होकर उनको न्यायालय में तलब किया।

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

3. तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा ने प्रकरण में अपने पत्रांक भू0अ0 / 2024 / 897 दिनांक 22.05.2024 द्वारा रिपोर्ट पेश की है कि–

- ग्राम सारसोप के खसरा नम्बर 2430 / 1.32, 2433 / 0.42 कुल किता 2 रकबा 1.74 है० अशोक, कैलाश, रामावतार पि० दशरथलाल हि. 21 / 24, पवनकुमार, राकेश, सुनिलकुमार पि. बाबूलाल, शांतिदेवी पत्नि स्व. बाबूलाल, बीना पुत्री बाबूलाल हि. 3 / 24 जातियान स्वर्णकार सा. देह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।
- ग्राम सारसोप के खसरा नम्बर 2431 / 0.06, 2435 / 1.48, 2434 / 0.01 कजोड, धनपाल पि. गोपीलाल, हिस्सा बराबर जाति गुर्जर सा. देह के नाम खातेदारी दर्ज है। यह है कि खसरा नम्बर 2434 (गै. मु.चाह) खसरा नम्बर 2433 की पूर्वी मेड तथा खसरा नम्बर 2435 की पश्चिमी मेड के बीच में स्थित है। मुताबिक विक्रय पत्र प्रार्थीगणों ने उक्त भूमि साबिक खसरा नम्बर 507 रकबा 6 बीघा 17 बिस्वा भूमि मय चाह दो बार जरिये विक्रय पत्र कय की थी।
- खसरा नम्बर 2430 व 2433 का सीमाज्ञान दिनांक 10.07.2020 को इस कार्यालय के आदेश कमांक भू०अ० / 2678–82 दिनांक 08.07.2020 की पालना में राजस्व टीम द्वारा किया जा चुका है।
- मुताबिक मिलान क्षेत्रफल हाल खसरा नम्बर 2430 / 1.32, 2433 / 0.42 साबिक खसरा नम्बर 507 रकबा 6 बीघा 17 बिस्वा से तथा खसरा नम्बर 2434 रकबा 0.01 साबिक खसरा नम्बर 510 रकबा 5 बीघा 18 बिस्वा से बने है।
- प्रार्थीगण खसरा नम्बर 2430 व 2433 की पत्थरगढी करवाना चाहते है। उक्त खसरा नम्बरान का सीमाज्ञान पूर्व में किया जा चुका है तथा खसरा नम्बर की तारबंदी हो रखी है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते चौथ का बरवाड़ा

4. वकील अप्रार्थीगण द्वारा जवाब पेश नही कर सीधे ही बहस हेतु निवेदन किया।

5. बहस बकुलाय सुनी गई। मैंने उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्तागणों की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

6. वकील प्रार्थीगण का कथन है कि प्रार्थीगण ने खातेदारी अलादीन पुत्र कालू जाति मुसलमान भिश्ती निवासी सारसोप से साबिक खसरा नं. 507 रकबा 6 बीघा 17 बिस्वा भूमि मय चाह के खरीद की [illegible] दिनांक 21.05.97 को व उसके पश्चात शेष 1 / 2 भाग दिनांक [illegible] विक्रय पत्र किया था इसमें खातेदार ने स्पष्ट लिखा [illegible] रखा है तथा कुंए पर इंजन लगा हुआ है। इस साबिक खसरा नं. 507 रकबा 6 बीघा 17 बिस्वा के सेटलमेंट विभाग द्वारा भू सर्वेक्षण करने के बाद वर्तमान में खसरा नं. 2430 व 2433 बनाए है जौ प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है। सेटलमेंट विभाग ने वर्तमान खसरा नं. 2434 को

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.03.06 11:30:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

साबिक खसरा नं. 510 से बनना बताकर गैर मुमकिन चाह को अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज कर दिया वास्तव में यह कुआं हमारी खातेदारी के खेत खसरा नं. 2433 की मेड पर बना हुआ है जिसनें प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण का बराबर का हिस्सा है। वकील अप्रार्थीगण का कथन है कि विवादित आराजीयात से संबंधित मूल वाद माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। अतः पत्थरगढ़ी करवाया जाना उचित नहीं है। इस पत्रावली से संबंधित मूल वाद मु0नं0 80/2015 उनवान बाबूलाल वगै0 बनाम कजोड़ वगै0 किस्म प्रकरण दावा अन्तर्गत धारा 88 व 188 आर0 टी0 एक्ट का अवलोकन करने पर पाया गया कि उनवानी दावे में वादीगण द्वारा खसरा नंबर 2434 की घोषणा चाही है, जबकि इस प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा खसरा नंबर 2430 एवं खसरा नंबर 2433 पर पत्थरगढ़ी चाही है। इस प्रकार मूल दावा एवं इस प्रार्थना पत्र में खसरा नंबर अलग–अलग होने के कारण पत्थरगढ़ी करवाई जा सकती है।

7. उपरोक्त विवेचन के आधार पर मेरी विनम्र राय में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित है।

–:आदेश:–

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा को आदेश दिये जाते हैं कि वे ग्राम सारसोप, तहसील चौथ का बरवाड़ा के खसरा नंबर 2430 रकबा 1.32 है0 एवं खसरा नंबर भूमि की उपभयपक्षों की उपस्थिति 2433 रकबा 0.42 है0 में पत्थरगढ़ी की जाये। पत्थरगढ़ी करवाये जाने का नियमानुसार समस्त खर्चा प्रार्थी द्वारा वहन किया जावेगा। निर्णय आज दिनांक 11.02.2026 को खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(जोगेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (सवाई माधोपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.03.06 11:30:03 IST
Reason: SelfAttested